

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
क्रमांक/एफ-5/1140/2022/10-11/246 भोपाल, दिनांक 12-04-24
प्रेषक:-

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- छिन्दवाड़ा जिले में ए.डी.बी.-6/7 योजना के अन्तर्गत हर्ई-बिजोरी मार्ग (राज्यमार्ग क्रमांक-41) उन्नयन/निर्माण हेतु 6.372 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, छिन्दवाड़ा को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/ROAD/124534/2021)

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/6-MPR 014/2023-BHO दिनांक 07.07.2023

—0—

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र के द्वारा प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 08 बिन्दु पर जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	Administrative approval of the project shall be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 04.05.2018 प्रस्तुत की है, जो संलग्न है।
2	Some parts of forest area are not demarcated in KML file. This needs rectification/ clarification.	आवेदक संस्थान द्वारा प्रकरण की संशोधित KML file ऑनलाईन भाग-1 में अपलोड कर दी गई है।
3	When was the road constructed? Documentary evidence of existence of road prior to 1980 shall be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्तावित मार्ग वर्ष 1980 के पूर्व का है, जिसके अभिलेख संलग्न है।
4	Full KML file of layout plan of forest area and non forest area (full project KML file) shall be submitted/uploaded.	आवेदक संस्थान द्वारा प्रकरण की पूर्ण KML file ऑनलाईन भाग-1 में अपलोड कर दी गई है।
5	Justification for location of the project in forest land (counter signed by DFO) shall be submitted/uploaded.	वन मण्डलाधिकारी पूर्व छिन्दवाड़ा द्वारा प्रकरण का हस्ताक्षर सहित Justification प्रस्तुत किया है, जो संलग्न है।

6	No objection certificates of concerned department (Railway, WRD, TL etc) shall be submitted.	आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित मार्ग में Railway, WRD, TL की कोई परियोजना संचालित नहीं है। अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
7	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO shall be submitted.	आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि मार्ग निर्माण में खुदाई से निकलने वाली उपयोगी मिट्टी का उपयोग Embankment बनाने में किया जावेगा तथा शेष अनुपयोगी मिट्टी को सड़क के किनारे निचले भाग में समतलीकरण में किया जावेगा। अतः muck disposal scheme की आवश्यकता नहीं है।
8	Component wise breakup of land required and component wise area calculation with the layout plan is shall be submitted	आवेदक संस्था द्वारा ऑनलाईन पोर्टल भाग-1 के बिन्दु क्रमांक B-2.4 में component wise break up आदि की जानकारी अपलोड की है, चाही गई वनभूमि मार्ग उन्नयन/निर्माण हेतु ही है।

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(एच.एस. मोहन्ता)

भोपाल, दिनांक 12-01-24

पृ. क्रमांक/एफ-5/1140/2022/10-11/247
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), छिन्दवाड़ा वृत्त, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश।
 2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, पूर्व छिन्दवाड़ा/पश्चिम छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश।
 3. संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल